जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक- 09.05.2026

किन मामलो का निपटारा होगा ?

- संधि योग्य लघु आपराधिक मामले
- धारा 138 एन. आई. एक्ट मामले
- ट्रैफिक चालान के मामले
- वाहन दुर्घटना दावे
- सिविल सूट
- माप तौल
- श्रम वाद
- बैंक ऋण वसूली मामले
- निलाम पत्र वाद, इत्यादि



लोक अदालत के लाभ

- कोई कोर्ट फीस नहीं होती, यदि कोर्ट फीस का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो राशि वापस कर दी जाएगी।
- विवादों का सरल और शीघ्र निपटारा।
- लोक अदालत के ऑर्डर्स की अपील नहीं होती और निर्णय अंतिम होता है।
- लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट, मोतिहारी सदर एवं पूर्वी चम्पारण जिला के अनुमण्डल स्तरीय कोर्ट (सिकरहना स्थित ढाका, तथा अरेराज) में होगा।

आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में प्रार्थना पत्र लगाकर लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं।

यदि आप मुकदमे को दूसरे पक्ष के साथ समझौते के माध्यम से लोक अदालत द्वारा निपटाना चाहते है तो आपका जो भी मुकदमा जिस न्यायालय में लंबित हो तो आप उसी न्यायालय में दिनांक 09-05-2026 तक किसी भी कार्य दिवस को जाकर अपने मामले पर विचार करवा सकते है। जिसका निस्तारण दिनांक 09-05-2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।

VC Link for National Lok Adalat on dated **09-05-2026** https://meet.google.com/mwd-yeuh-szf

(नितिन त्रिपाठी)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

(सौरभ जोरवाल)
जिला पदाधिकारी-सह- उपाध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मोतिहारी

(अभिषेक कुमार दास)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह- अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मोतिहारी